30/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील प्रार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर आवेदन 42 RTA को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ